

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम

सैलाना रोड़, ग्राम बंजली, रतलाम (म०प्र०)

इसन:- deanvatlam@gmail.com वेबसाईट :- www.gmcratlam.org कार्याहाय दूरमाश नंबर :- 07412-284226 पिनकोड :- 457001

DONATE ORGAN - SAVE LIFE

अंगदान करें – जीवन बचाएँ

क्रमाक .ऽ०५९ / स्था. / जो.एम.सी. / विज्ञाप्ति / 2022

रतालाम, दिनांक - 28/4/2022

-:: विज्ञप्ति सूचना पत्र ::-

शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम में स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श सेवा नियम 2018 एवं संचालनालय चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल का पत्र क्र. 541/स्था./अराज/2021 भोपाल दिनांक 26.03.2021 द्वारा प्राप्त परिचारिका संवर्ग की अनुसूचियों के आधार पर शासकीय रवशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम एवं संबद्ध चिकित्सालय में स्टॉफ नर्स के रिक्त पदो पर केवल महिला अभ्यार्थियों के आवेदन प्राप्त कर भर्ती परीक्षा के आधार पर प्रावीण्य सूची एम.पी.ऑनलाईन के माध्यन से तैयार की जानी है। इस हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

रटॉफ नर्स के पदों पर आवेदन का प्रारूप एम.पी.ऑनलाईन की वेबसाईट <u>www.mponline.gov.in</u> पर ऑनलाईन उपलब्ध रहेगा तथा आवेदन की अंतिम दिनांक समय रात्रि 12:00 वर्ज तक ऑनजाईन भरे जा सकेगें।

महिला स्टॉफ नर्स के कुल रिक्त पद संख्या :- 74

तोंधी भर्ती :- महिला स्टॉफ नर्स कुल पद - 56

स.क्र.	श्रेणी	बिना वर्ग	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	कुल योग
1	अनारक्षित	_	80	05	13
2	अनुसूचित जाति	_	05	03	08
3	अनुसूचित जनजाति	_	06	04	10
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	_	08	05	13
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	07	03	02	12
	योग :-	07	30	19	56

1

सीधी भर्ती :- महिला स्टॉफ नर्स कुल पद - 18 (संविदा कर्मचारियों हेतु 20% आरक्षित)

स.क्र.	श्रेणी	बिना वर्ग	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	कुल योग
1	अनारक्षित	_	02	01	03
2	अनुसूचित जाति	_	01	01	02
3	अनुसचित जनजाति	01	01	01	03
4	अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से	_	02	01	03
वमजोर वर्ग		07	00	00	07
योग :		08	06	04	18

1. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :—

r	1. अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के
स्टॉफ नर्स	भारत (10+2) शिक्षा पद्धति स्व १२ती प्रतिश्वा अनुभू ने नाम नामित्र
	2. बी.एस.सी. (नर्सिंग) अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षित।
	 मध्यप्रदेश नर्सिंग कौंसिल में पंजीकृत परिचारिका।
,	

2. वेतनमान एवं अन्य भत्ते :--

पद का नाम	7वां वेतनमान मेट्रिक्स अनुसार
स्टॉफ नर्स	28700 (लेवल-7)

महगांई भत्ता एवं अन्य भत्ते और अन्य लाभ शासन नियमानुसार लागू होगें। नियुक्त कर्मचारी पर नवीन पेंशन योजना शासन के आदेशानुसार प्रभावी होगी।

3. आरक्षण :--

- 1. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।
- 2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप रो कमजोर संवर्ग) के लिये आरक्षण प्रावधान नियमानुसार लागू होगें।
- 3. उक्त पदों हेतुं जातिगत आरक्षण केवल ऐसे अभ्यार्थियों पर लागू होगा, जिनका जाति प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश राज्य के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया हों।
- 4. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-6-1/2002/अ.प. /एक भोपाल दिनांक 18 जनवरी 2018 द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) नियम 1988 के नियम-4(ख) में संशोधन की अधिसूचना म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में 16 जनवरी 2018 के अन्तर्गत "4-ख आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबंध" में यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दितया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की सहारिया/सहिरया आदिम जनजाति जिला मण्डला, डिण्डौरी, शहडोल, उमिरया, बालाघाट तथा अनुपपुर की बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिन्दवाड़ा के तामिया विकासखण्ड की भारिया जनजाति का है, संविदा शाला शिक्षक या तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद के लिये या वनरक्षक (कार्यपालिक) के लिये आवेदन करता है और उस पद के लिये विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है, तो उसे भर्ती प्रक्रिया को अपनाये बिना उक्त पद अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध नियुक्त किया जायेगा जिस हेतु आवेदक ऑफलाईन आवेदन कर सकते है साथ ही जाति प्रमाण पत्र एवं योग्यता संबंधी समस्त दस्तावेज संलग्न करना अति आवश्यक है।

ाव्यांगजन के आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ 8–4/2001/आ.प्र./एक (पार्ट) भोषाल दिनाक 17 रितिम्बर 2018 अनुसार रहेगा।

उक्त पदो में भूतपूर्व सैनिकों (केवल महिला) के लिए आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोषाल द्वारा खारी निर्देश क्र. एफ-9-3/2012/आ.प्र./एक भोषाल दिनांक 22 सितंबर 2012 के अनुसार रहेगा।

रांचिदा पर नियुक्त कर्मचारियो को 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सामान्य प्रशासन विभाग भित्रातय भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्र. सी 5–2/2018/1/3 भोपाल दिनांक 05 जून 2018 के अनुसार रहेगा।

ह उपत पदों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्र. एफ 07—11/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2019 के अनुसार रहेगा। आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।

4. आयु सीमाः-

अनारिक्षत वर्ग हेतु — न्यूनतम १८ वर्ष एवं अधिकतम ४० वर्ष अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय — न्यूनतम १८ वर्ष एवं अधिकतम ४५ वर्ष /निगम/मण्डल स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक (अधिकतम आयु सीमा में ०५ वर्ष की छूट) /निशक्तजन/महिलाओं (अनारिक्षत/आरिक्षत) आदि हेतु

ोट:— आयु की गणना ०१ जनवरी २०२२ के आधार पर की जावेगी।

5. सामान्य शर्तेः-

1. उम्मीदवार को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।

2. शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम द्वारा आवश्यकता अनुसार उक्त पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।

3. ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय/अर्धशासकीय/सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत है एवं विज्ञापित पदों हेतु न्यूनतम अर्हता एवं आयु सीमा संबंधी सभी मापदंडों को पूर्ण करते हों उन्हें दस्तावेज सत्यापन के दौरान वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी उम्भीदनारी पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग (केवल गैर कीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग) जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते है, उन्हें म.प्र. शासन के वर्तमान प्रवित्तित नियमों के अनुसार निर्धारित प्रारुप में प्रमाण पत्र की एक प्रति दस्तावेज सत्यापन के दौरान जमा करनी होगा।

5. उम्भीदवारों को पूर्ण रूप से स्वरथ होना अनिवार्य है एवं नियुक्ति के समय मेडीकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा स्वरथता प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

6. अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम किसी भी समय किसी भी स्तर पर आंशिक या पूर्ण विज्ञाप्ति या भर्ती प्रक्रिया को बिना किसी कारण रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में महाविद्यालय की कोई जवावदारी नहीं होगीं।

7. वयन प्रक्रिया संबंधी किसी भी विवाद में अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

8. नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में मान्य होगा।

9. ऐसे आवेदक जिनको दिनांक 26.01.2001 तथा उसके बाद तृतीय वच्चे का जन्म हुआ है, वयन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होगें।

10. वैवाहिक रिथिति — एक से अधिक विवाह किये गये उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे अगर प्रथम विवाह से विच्छेद न हुआ हो अथवा मृत्यु न हुई हो।

- 11. सेवा की अन्य शर्ते नियुक्ति पत्र में दशर्डि अनुसार बंधनकारी होगी।
- 12. महिला रटॉफ नर्स की चयन सूची एवं ट्रांसजेंडर महिला आवेदकों की चयन सूची पृथक-पृथक तैयार की जावेगी।
- 13. म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 2-20/2020/1/55 भोपाल दिनांक 04.03.2022 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार म.प्र. शासकीय नर्सिंग स्कूल/महाविद्यालय से उत्तीर्ण उम्मीदवारों के साथ राज्य में केन्द्र शासन द्वारा संचालित नर्सिंग स्कूल/महाविद्यालय से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट पृथक से बनाकर महाविद्यालय को प्रेषित की जावे, इनकी चयन प्रक्रिया का वेटेज निम्नानुसार रहेगा:-

स्टॉफ नर्स

Higher Secondary (12th) Percentage (% x 0.2) (Max 20 Marks) BSC / GNM Percentage (% x 0.7) (Max 70 Marks)	MSC = 10	Total = 100
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------

म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 2-20/2020/1/55 भोपाल दिनांक 04.03.2022 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार म.प्र. निर्संग स्कूल, शासकीय/स्वशासी निर्धिम महाविद्यालय से उत्तीर्ण उम्मीदवारों के साथ राज्य में केन्द्र शासन द्वारा संचालित निर्संग स्कूल/महाविद्यालय से उत्तीर्ण उम्मीदवारों को स्क्रुटनी में उपयुक्त पाये जाने पर स्टॉफ नर्स की नियुक्ति प्रथम 03 माह के लिए निश्चित परिश्रमिक रूपयें 10,000/— प्रतिमाह पर की जावेगी। 03 माह पश्चात स्टॉफ नर्स की परीक्षा ली जावेगी। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात ही अभ्यार्थियों को नियमित स्थापना के पदों में नियुक्त किया जावेगा।

- 14. संविदा अवधि अनुभव की गणना आवेदन की अंतिम तिथि तक मान्य की जावेगी।
- 15. सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक सी 5-2/2018/1/3 भोपाल दिनांक 05 जून 2018 के अनुसार संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को नियमित पदों पर नियुवित प्राप्त करने के अवसर प्रदान किये जाने हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये गये है, संविदा अधिकारी/कर्मचारियों का आशय है कि वर्तमान अथवा पूर्व में संविदा पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी :--
 - 15.1 प्रत्येक विभाग के भर्ती किये जाने वाले पदों में 20 प्रतिशत पर संविदा पर नियुक्त अधिकारी / कर्मचारी के लिये आरक्षित रहेगें किन्तु इस नीति के अन्तर्गत आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेकर नियुक्ति प्राप्त कर लेने उपरांत पुनः लाभ की पात्रता नहीं होगी।
 - 15.2 इस आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न संविदा सेवक पात्र होगें :--
 - 15.3 सीधी भर्ती का रिक्त पद जिस श्रेणी का है उसी श्रेणी में आवेदन न्यूनतम 05 वर्ष तक संविदा पर नियुक्ति रहा हो 05 वर्ष की यह अवधि रिक्त पदों पर आवेदन करने के दिनांक को पूर्ण होना चाहिए। इस आशय का प्रमाण–पत्र उसे प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण–पत्र यथा रिथति जिला स्तर पर अथवा राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।
 - 15.4 सेवा—नियमों में प्रश्नाधीन नियमित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता तथा अन्य सुसंगत अनुभव जो वंछित है, उन्हें वह पूर्ण करता हो।
 - 15.5 यदि किसी संविदा सेवक ने विभिन्न पदों पर कार्य किया है तो उसकी कुल संविदा सेवा 05 वर्ष की होना चाहिए। अगर उसने विभिन्न श्रेणी के पदों पर संविदा पर कार्य किया है तो 05 वर्ष की उपरांक्त अविध की गणना पूर्ण होने पर वह उस श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेगा जो इस 05 वर्ष में निम्नतम श्रेणी का था।
 - 15.6 अगर किसी शासकीय सेवक को संविदा के पद से किसी अवधि में हटा दिया गया हो तथा उसे पुनः उसी पद पर अथवा किसी अन्य पद पर संविदा पर नियुक्ति प्राप्त हो गई हो तो 05 वर्ष की संविद। वर्ष सेवा की अवधि की गणना सेवा से पृथक रहने की अवधि को घटा कर की जाएगी।

157 किसी भी विभाग में कार्यरत संविदा पर नियुक्ति सेवक अन्य किसी भी विभाग के द्वारा विहास पद पर आवेदन कर सकेगा जिसके लिए वह अईता रखता हो यह आवश्यक नहीं है कि जिस विभाग में सविदा पर सेवक नियुक्त हैं उसी विभाग में उसे नियमित किए जाने के अवसर दिए जाए।

15.8 राज्य शासन में नियमित नियुक्ति होने पर उन्हें पूर्व की संविदा सेवाओं का किसी भी प्रकार का लाग

प्राप्त नहीं हो सकेगा।

15.9 संविदा किर्मियों के लिए आरक्षित किए गए सीधी भर्ती के नियमित पदों पर पारदर्शी एवं प्रतिरमर्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम रो चयन होगा। इस चयन प्रक्रिया में नियुक्तिकर्ता विभाग द्वारा न्यूनतम कटऑफ अंक निर्धारित किए जाएंगे।

- 15 10 संविदा सेवक एक अथवा उससे अधिक श्रेणी के संविदा पदों पर नियुक्त रहा हो सकता है। इसी रिथिति में जिस श्रेणी के नियमित पद पर वह नियुक्ति का आवेदन करता है। उसके समकक्ष एव उच्चतर श्रेणी के सविदा पर वह जितने वर्ष कार्यरत रहा उतने वर्ष की छूट उसे निर्धारित अधिकतम आयु—सीमा में मिलेगी। यह छूट सहित अधिकतम आयु आवेदन दिनांक अथवा पद की मर्ती के लिए जारी विद्याप्त में निर्धारित दिनांक को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 16. चयन सूची तैयार करते समय यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते है तो उम्मीदवारों की जन्मतिथि पर विचार किया जायेगा अर्थात अधिक आयु के आवेदक को कम आयु के आवेदक के उपर रखा जावेगा। जन्मतिथि समान होने की स्थिति में ऐसे उम्मीदवार को वरीयता दी जावेगी जिन्होंने आवेदन किए पद हेतु निर्धारित आवश्यक न्यूनतम अर्हता में अधिक अंक प्राप्त किये है। ऐसी स्थिति में जब उपरोवत दोनो स्थितियाँ एक से अधिक आवेदक के लिये समान हो तो कक्षा 12वी में अधिक अंक प्राप्त अभ्यार्थी को वरीयता दी जावेगी।
- 17. स्टॉफ नर्स के पद हेतु आवेदन करने के पूर्व आवेदक विज्ञापन का गहन अध्ययन कर लेवें।

6. सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र :--

रताँफ नर्स को न्युनतम 03 वर्ष की सेवाएं देने हेतु रोवा अनुबंध सह प्रतिभृति पत्र निष्पादित करना होगा। सेवा अनुबंध सह प्रतिभृति पत्र में निहित शर्तो का पालन न करने पर उसे 01 वर्ष के वेतन/मानदेश के बरावर की राशि इस शाराकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतंलाम को चुकानी होगी। यह देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

7. अनहर्ताए :--

निम्नलिखित भामलों में उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिये उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये विवर्जित कर दिया जाएगा :--

- 1 जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये भर्ती में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसके लिये प्रयास किया हो या प्रतिरूपण (इम्परसोनेशन) किया हो या कराया हो या
- 2. कूटरिवत दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया गया हो या
- 3 वयन के किसी भी रतर पर भर्ती हेतु दिये गये किसी भी आवेदन/प्रपत्र/अनुप्रमाणन/दरतावेज में असत्य . जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो या
- 4. मर्ती के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो या
- 5. साक्षात्कार में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुचाई हो या किसी तरीके से दुर्व्यवहार किया हो या

				_					
	 -	 	 ~	.5	 ~	 	 ~	 	

6. आवेदको की मध्यप्रदेश सिविल सेंवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम 1961 के नियम के अनुसार नियुक्ति क

लिये वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो :-

अ. महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसके पहले से ही एक पत्नी जीवित हो ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

ब जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वरथ्य नहीं पाएँ गए।

स. किसी अपराध का दोष रिद्ध ठहराया गया हो।

द. जिसकी दो से अधिक संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है परन्तु निरहित नहीं होगा यदि एक संतान से जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक सतान का जन्म होता है।

7. ऐसा अभीदवार जिसके विरूद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन है अथवा वह

नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।

8. आरक्षण का लाभ लेने वाले उम्मीदवारों के लिये निम्न लिखित प्रमाण पत्र आवश्यक है:--

1. निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र।

2. निर्जारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र तथा अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग में गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र।

9. स्टॉफ नर्स के पद पर आवेदन संबंधी समय तालिका:-

क्रमांक	गतिविधि	तारीख
1	आनलाईन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि	
2	आनलाईन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	
3	आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु प्रारंभ तिथि	
4	आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु अंतिम तिथि	

उपरोक्त तिथियाँ विकित्सा महाविद्याालय रतलाम की आवश्यकतानुसार परिवर्तित की जा सकती है।

एम.पी. ऑनलाईन तथा शाराकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम की वेबरााईट का रागय--समय पर अवलोकन करते रहें। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरने व निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के पश्चात उसके द्वारा की गई कोई त्रुटि सामने आती है तो ऐसे अभ्यर्थी त्रुटि सुधार की अंतिग दिनांक तक संबंधित त्रुटि को एम.पी. ऑनलाईन द्वारा प्रत्येक ट्रांजेक्शन के लिये निर्धारित शुल्क 50 रुपये तथा जी.एस.टी. जमा कर राधार कर सकेंगे। परत इसके पश्चात भी यदि अभ्यर्थी द्वारा असत्य या गलत जानकारी ऑनलाईन आवेदन में दी जाती है तो ऐसी रिश्चित में आवेदक की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जावेगी।

10. आवेदन शुल्कः--

अनारक्षित वर्ग हेतू 1000/- रूपये (200/- विभागीय शुल्क एवं 800/- एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल शुल्क) . अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु 800/- रूपये (800/-एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल शुल्क) एव अन्य पिछडा वर्ग (केवल गेर कीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रुप से कमजोर संवर्ग) के लिये 900/- रूपये (100/-विभागीय शुल्क एवं 800 / - रूपये एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल शुल्क) राशि ऑनलाईन जमा होगी।

11. आवेदन कैसे करे :-

- ा कृप्या आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानीपूर्वक निर्देशों को पढलें। आप निर्देश पुस्तिका प्रवेश परीक्षा लिंक सं डाउनलोड कर सकते हैं।
- 2. आवेदन पत्र एम.पी. आनलाईन <u>www.mponline.gov.in</u> की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

आनेदन के साथ दस्तावेजों की निम्नलिखित स्कैंन की गई प्रतियाँ उम्मीदवार द्वारा अपलोड किया जाना अनिवार्य है :--

जन्मतिथि के समर्थन में हाई स्कूल परीक्षा मार्कशीट/सर्टिफिकेट/जन्म प्रमाण पत्र

- 2. आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता के समर्थन में संबन्धित डिग्री/डिप्लोमा/फाईनल ईयर की गार्कशीट।
- मध्यप्रदेश में संबंधित कांउसिल से जीवित रिजर्ट्रेशन सर्टिफिकेट।
- 4. फोटो पहचान प्रमाण पत्र।
- 5. उम्मीदवार का नवीन फोटो एवं हस्ताक्षर।
- ह. 12 वीं कक्षा की अंकसूची।
- 7. जाति प्रमाण पत्र।
- 8 मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र ।

प्रत्येक दस्तावेज फोटो एवं सिग्नेचर सहित 200 के.बी. आकार से अधिक ना हो।
ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी आवेदनपत्र एम.पी. आनलाईन अथथण.mponline.gov.in पर दिये गये लिंक पर उपलब्ध है। परीक्षा आवेदन फार्म ऑनलाईन मध्यप्रदेश के जिला, तहसील एवं ब्लॉक एवं कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोरकों के मध्यम से भरा जा सकता है। एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोरकों की सूची के लिये एम.पी. आनलाईन अथथण.mponline.gov.in पर Authorised Kiosk list link देखे। आवेदक इंटरनेट कैंफे के माध्यम रो या घर बैठे स्वयं भी अपना ऑनलाईन फार्म भर सकते है।

- इंटरनेट कैंफे या स्वयं घर वैठे कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि:--
 - आवंदक एम.पी. आनलाईन www.mponline.gov.in वेबसाईट के गाध्यम से होम पेल में नागरिक सेवांए ऑप्शन पर क्लिक करें फिर ड्राप डाउन लिस्ट से आवंदन ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम के लोगों पर क्लिक कर एप्लिकेशन एड सर्विरोज ऑप्शन में उपरोक्त पद हेतु ऑनलाईन आवंदन करने के लिये दी हुई लिंक पर क्लिक करें।
 - अविदक ऑनलाइन फार्म भरने से पहले विज्ञप्ति को एम.पी.ऑनलाइन www.mponline.gov.in के माध्यम से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम की वेबसाईट www.gmeratlam.org पर दिये मये लिंक से दी गई जानकारी और शर्तो को अच्छी तरह से पढ़लें इसके उपरांत ही ऑनलाईन आवेदन करने के लिये फार्म पर विलक करें। इसके उपरांत आवेदक को स्कीन पर ऑनलाइन फार्म दिखाई देगा। आवेदक को फार्म में गांगी गई समरत जानकारियां सही भरना अनिवार्य है। आवेदक को फार्म पृष्ठ पर नीचे की ओर एक बटन Browse दिखाई देगा। जिसमें आवेदक को अपना नवीन रंगीन फोटो हस्ताक्षर सहित अटैच करना है। इस बटन के नीचे आवेदक को फोटो हस्ताक्षर के साथ (प्रारुप हेतु इस लिंक पर विलक करें) दिखाई देगी Hyperlink को विलक करने पर हस्ताक्षर सहित फोटो के फारगेट का प्रिट लेकर उचित स्थान पर फोटो विपका कर उसके नीचे हस्ताक्षर करें। इसके उपरांत उकत फारगेट का फिट स्कैन कर jpg 200 KB size or minimum) फारगेट में ही रांव करें। अब आवेदक Browse बटन पर क्लिक करे इसके उपरांत जिस डायरेक्टरी में आवेदक ने अपना फोटो हस्ताक्षर रकेन कर रांव किया है उस डायरेक्टरी से अपना फोटो—हस्ताक्षर सिलेक्ट कर अटैच करें।
 - आवेदक ऑनलाईन फार्म को पूर्ण रुप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह से पढ़ले और यह सुनिश्चित कर ले कि फार्म में जो भी जानकारी भरी गई है वह सही है। यदि फार्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई है तो पुनः उसे ठीक कर ले इसके उपरांत Submit बटन दबायें। इससे आवेदक को एक आवेदन फार्म नंबर प्राप्त होगा। इसके उपरांत आवेदक परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिये Proceed to payment बटन दबाएगा तो उसे परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु दो ऑप्शन दिखाई देंगें।

अ. केडिट / डेबिटकार्ड ब. इंटरनेट बैंकिंग

- अ. क्रेडिट / डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:— आवेदक किसी भी इंटरनेट केंफ का विदेश के विदेश सिंह के भी स्वय इंटरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भर सकता है। ऑनलाइन फार्म भरने के उपरात परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिये Proceed ि payment बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्कीन पर संबंधित बैंक का पेमेन्ट मेटवे दिखाई देगा। इसमें केंडिट / डेबिट कार्ड का विवरण भरने के उपरांत कन्फर्म बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान किना जा सकता है। आवेदक को परीक्षा शुल्क भुगतान की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद कम्प्यूटराईण्ड रसीद प्राप्त होगी जिस पर उसकी ट्रांसेक्शन संबंधी जानकारी भी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संभालकर रखे।
- ब. इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:— आवेदक चाहे तो स्वयं घर बैठे इंटरनेट या इंटरनेट कैफे के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भर कर परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग सुविधा होना अनिवार्य है। बैंकिंग सुविधा होना अनिवार्य है। आवेदक ऑनलाइन फार्म भरने के उपरांत Proceed to payment बटन दबायेगा यहा पर उसे इंटरनेट वैकिंग ऑप्शन दिखाई देगा। इसे क्लिक करने पर वह अपने बैंक द्वारा प्रदान यूजर आई डी पासवर्ड डालकर लाग-इन होगा। इस प्रकिया से आवेदक अपने बैंक एकाउन्ट से शुल्क का भुगतान कर सकता है। सफलतापूर्वक भुगतान प्रकिया पूर्ण होने के बाद आवेदक को स्कीन पर पावती नम्बर और आवेदक का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिन्ट अवश्य लें।
- एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :— आवेदक ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने के लिये अपने नजदीकी एम.पी.ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क पर जावेगा। कियोस्क संचालक www.mponline.gov.in वेबसाईट ओपन कर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग—इन टाईप में कियोस्क सिलेक्ट कर लॉग—इन करेगा। इसके उपरान्त सिटिजन सर्विसेज में जाकर एप्लीकेशन में सर्वप्रथम फार्म भरने संबंधी निर्देश और जानकारियां आवेदक को उपलब्ध करायेगा। आवेदक इन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ लें तािक मांगी समस्त जानकारियां फार्म में सही से भरी जा सके। इसके उपरान्त आवेदक कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारियां फार्म में सही से भरी जा सके। इसके उपरान्त आवेदक कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध कराकर फार्म भरवा ले एवं साथ में अपना नवीन रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो अवश्य ले जावें। कियोस्क आवेदक का फोटो हस्ताधार एकेन कर उचित स्थान पर अटैच करेगा। फार्म भरने के उपरांत आवेदक ऑनलाईन फार्म में भरी हुई समस्त जानकारियां सही—राही भरी होने के उपरान्त ही कियोस्क संचालक को Proceed to payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान करने को कहें। आवेदक कियोरक संचालक को परीक्षा शुल्क नगद भुगतान करने को कहें। आवेदक कियोरक संचालक को परीक्षा शुल्क नगद भुगतान करने को कहें। आवेदक कियोरक संचालक को परीक्षा शुल्क नगद भुगतान करेगा। हरा रशीद में परीक्षा शुल्क की पूरी जानकारी अंकित रहेगी। साथ ही आवेदक से संबंधित पूर्ण जानकारी भी रसींद में अंकित होगी। आवेदक इस रसींद को ध्यागपूर्वक पढ़ ले तथा अपने पास समाल कर रखें।
- 7. जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक को होगा। असत्य या गलत जानकारी ऑनलाईन आवेदन में देने पर संबंधित आवेदक की पात्रता निरस्त की जा सकेगी।
- 8 यदि आवेदक के पास क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो भरे गये फार्म का कियोस्क के माध्यम से Pay for unpaid application लिंक द्वारा परीक्षा का शुल्क नगद भुगतान कर सकता है। परीक्षा शुल्क का भुगतान प्रत्येक आवेदक को करना अनिवार्य है।
- इसके लिये आवेदक को उपरोक्त बताये गए बिन्दु में दर्शायी गई विधि अनुसार फार्म भरने के उपरांत अपने नजदीक में स्थापित एम.पी.ऑनलाईन पर अधिकृत कियोस्क पर जाकर भरे गए फार्म का आवेदन क्रमांक एवं अपनी जन्मतिथि कियोस्क रांचालक को बताना होगा इसके उपरांत कियोस्क रांचालक Pay for unpaid application में उक्त जानकारियां भरकर फार्म ओपन कर लेगा। इसके उपरांत Proceed to payment बटन दवाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देगा। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क संचालक आवेदक को कम्यूटराईज्ड रसीद प्रदान करेगा इस रसीद में परीक्षा शुल्क की जानकारी के साथ आवेदक संचित्र समस्त जानकारी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संमाल कर रखें। ऑनलाईन पेंगेन्ट करने पर.

वादे पैभेन्ट रिजेक्ट हो जाता है तो / पैमेन्ट रसीद जनरेट नहीं हो रही तो तत्काल पुनः पैभेन्ट कर रसीद जनरेट कर सुरक्षित रखें। पैमेन्ट के अभाव में आवेदन स्वतः निरस्त हो जावेगा।

ऐसे आवेदन रवीकार नहीं किये जायेगें जिन्हें ऑनलाईन भरने के बाद प्रिन्ट लेकर एम में ऑनलाईन के साम डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जायेगा। परीक्षा शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का वैक्ष ड्रापट नी स्वीवन नहीं होगा। ऐसा करने पर इन्हें मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जावेगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जावेगी।

नोट :— यदि आपको ऑनलाईन फार्म भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाये गए दूरभाष नम्बर पर तत्काल सम्पर्क करे एवं समस्या का समाधान न होने पर एम.पी.ऑनलाईन के होमपेज सम्पर्क करें में क्लीक करे तथा शिकायत विकल्प में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते है।

एम.पी.ऑनलाईन लिमिटेड तीसरा फ्लोर स्टेट आई.टी.पार्क अब्बास नगर नियर आरजीपीवी, गाँधी नगर भोपाल – 462033, फोन :– 0755–6720200/0755–6720222 पर संपर्क करें।

१२. महत्वपूर्ण टीप :--

यह उम्मीदवारों के हित में है कि वे एम.पी.ऑनलाईन/शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम की वेवसाईट www.gmcratlam.org का नियमित रूप से अवलोकन करते रहे एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं व निर्देशों पर ध्यान देवें। इस संवधं में एम.पी.ऑनलाईन/शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम की कोई जवाबदारी नहीं होगी। यदि आवेदक समय-समय पर महाविद्यालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं निर्देशों का अवलोकन करने में असफल होता है तो उसकी दावेदारी मान्य नहीं की जावेगी। साथ ही आवेदक द्वारा आवेदन पत्र सही भरा जाना चाहिए एवं किसी भी जानकारी को छिपाया नहीं जाना चाहिए। यदि भविष्य में पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार का चयन उसके द्वारा प्रस्तुत गलत जानकारी के आधार पर हुआ, तो ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी एवं तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

नवीन सूचनाओं हेतु शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम की वेबसाईट www.gmcratlam.org का अवलोकन निरंतर करते रहें।

> चुं DEAN College चुं जित्ते ते प्रहार Medical College मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रश्नीधिकाता शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय स्तलाम